भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-943
उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

पेपर लीक की घटनाएं

†943. श्री शफी परम्बिल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत 10 वर्षों के दौरान राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) परीक्षा आयोजित करने में ऐसी गंभीर चूक के लिए एजेंसियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई और दंड का ब्यौरा क्या है; और
(घ) केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लीक होने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती और प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। परीक्षा से संबंधित घटनाओं के संबंध में आंकड़ा मंत्रालय में केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण के लिए, केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 बनाया है। यह अधिनियम 21 जून, 2024 से लागू हो गया है और 23 जून, 2024 को इसके तहत नियम भी अधिसूचित कर दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।

*****